



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 196/2025

1 – होरिलाल अग्रवानी पिता किसान ठाकुर, 44 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 4, जोबा, रायपुर, जिला :रायपुर
छत्तीसगढ़

बनाम

1- छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं विभाग मंत्रालय, नया रायपुर, जिला –
रायपुर छत्तीसगढ़

2-निदेशक राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन, काली बडी रायपुर छत्तीसगढ़
जिला-रायपुर छत्तीसगढ़

3-मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव, जिला-कोंडागांव छत्तीसगढ़

4-खंड चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक-कोंडागांव, जिला-कोंडागांव छत्तीसगढ़

रिट याचिका सेवा सं 237 /2025

1 – श्रीमती. लोनिवासीश्वरी साहू पति मोहा साहू, 48 वर्ष, निवासी गाँव-तरगोडी, पोस्ट-सिलौती, पी.
एस.-झाकड़ा, जिला-धमतरी सी. जी.

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य –सचिव के द्वारा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा विभाग मंत्रालय, नई रायपुर, जिला-
रायपुर छ .ग.

2 – निदेशक राज्य स्वास्थ्य, संसाधन केंद्र, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन, काली बडी रायपुर छ .ग.,
जिला-रायपुर छ .ग.

3 – मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी, जिला-धमतरी छ .ग..

4-ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक-कुरुद, जिला-धमतरी छ .ग.

---उत्तरवादी



रिट याचिका सेवा सं 161/2025

1 – श्रीमती. किरण मिंज पति रंजीत बड़ा 48 वर्ष निवासी गाँव-लोसांगा, पोस्ट-लखनपुर, निवासी-सरगुजा, छ.ग.

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा ,स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा विभाग मंत्रालय, नई रायपुर, जिला – रायपुर, सी. जी.
- 2 – निदेशक राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन काली बडी रायपुर, सी. जी., जिला-रायपुर, सी. जी.
- 3 – मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा, जिला-सरगुजा, सी. जी.
- 4-ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक-लखनपुर, जिला-सरगुजा, सी. जी.

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 300/2025

1 – श्रीमती. सोनामती पति कन्नीलाल 43 वर्ष निवासी गाँव-ढोलदागी, ब्लॉक-लखनपुर, जिला-सरगुजा सी. जी.

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा विभाग मंत्रालय, नई रायपुर, जिला – रायपुर (सी. जी.)
- 2 – निदेशक राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन, काली बडी रायपुर सी. जी., जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 3 – मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा, जिला-सरगुजा (सी. जी.) 4-ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सी. जी.)

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 489/2025



1 – दुलारी बाई साहू पति श्री छन्नू लाल साहू लगभग 54 वर्ष , निवासी नदीपारा, मैनपुर, जिला गरियाबंद (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय अटल नगर, नई रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

2 – निदेशक राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन कालीबाड़ी, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – कलेक्टर रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

4 – मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ 5-ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 352/2025

1 – श्रीमती. आशा तिर्की पति शारी फिलोमन तिर्की लगभग 44 वर्ष निवासी गाँव भंसझाल, बनिवासीनपारा, पुलिस थाना-बटौली, जिला-सरगुजा सी. जी.

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा –स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर जिला- रायपुर सी. जी.

2 – निदेशक राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन, काली बडी रायपुर सी. जी. जिला-रायपुर सी. जी.

3 – मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा जिला-सरगुजा सी. जी. 4-ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक-सरगुजा, जिला-सरगुजा (सी. जी.)

---उत्तरवादी



रिट याचिका सेवा सं 77/2025

1 – गिरिजा सोनी पति हरिशचंद सोनी, लगभग 42 वर्ष निवासी मिनी बस्ती, जरभाटा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के द्वारा , महानदी भवन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर (सी. जी.)

2 – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (एस.एच.आर.सी.) इसके कार्यकारी निदेशक के द्वारा, बिजली कार्यालय चौक, कालीबाड़ी, रायपुर (छत्तीसगढ़) के पास 'राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन'

3 – कलेक्टर, बिलासपुर, तहसील तथा जिला बिलासपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 447/2025

1 – श्रीमती. ज्योति पाल पिता खेल सिंह बघेल लगभग 34 वर्ष निवासी 181, परमा कंडिका , भैरमगढ़, जिला-बीजापुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा विभाग मंत्रालय, नई रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन, काली बडी रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी, जिला:धमतरी, छत्तीसगढ़

4 – ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक-कुरुद, जिला:धमतरी, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 197/2025



1 - श्रीमती. द्रौपदी कौशिक पति श्री हरेंद्र कौशिक लगभग 31 वर्षीय मितानिन प्रशिक्षक, संकुल-मुलमुला सेक्टर-चिपावंद, ब्लॉक-कोंडागांव, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र मितानिन कार्यक्रम जिला-कोंडागांव, निवासी गाँव पोस्ट-मुलमुला पुलिस स्टेशन-कोंडागांव, जिला-कोंडागांव (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य के माध्यम से-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा विभाग मंत्रालय, नई रायपुर, जिला।- रायपुर (सी. जी.)
- 2 - निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र राज्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र भवन, काली बडी रायपुर सी. जी., जिला-रायपुर (सी. जी.)
- 3 - मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव, जिला-कोंडागांव (सी. जी.) 4-खंड चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक-कोंडागांव, जिला-कोंडागांव (सी. जी.)

---उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

संबंधित याचिकाकर्ताओं हेतु :श्री भूपेंद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश साहू तथा सुश्री हरनीत कौर खानुजा, अधिवक्तागण

संबंधित उत्तरवादी हेतु :श्री विवेक शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री अजीत सिंह, शासकिय अधिवक्ता, श्री कंवलजीत सिंह सैनी, पैनल अधिवक्ता तथा श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

11/03/2025

1. वर्तमान याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी है। याचिकाओं में दर्शाई गई सेवा समाप्ति के आदेशों की तिथियाँ निम्नानुसार हैं:

सरल क्र	रिट याचिका सेवा	याचिकाकर्ता	समाप्ति का आदेश	पारित किया गया
---------	-----------------	-------------	-----------------	----------------



	सं .			
1	196 /2025	होरिलाल अग्रवानी	9.11.2020	उत्तरवादी सं. 3
2.	77/ 2025	गिरिजा सोनी	16.5.2024	उत्तरवादी सं. 3
3	489 /2025	दुलारी बाई साहू	16.7.2020	उत्तरवादी सं. 5
4	161/ 2025	श्रीमती. किरण मिंज	29.1.2022	उत्तरवादी सं. 4
5	197 /2025	श्रीमती. द्रौपदी कौशिक	25.7.2022	उत्तरवादी सं. 4
6	237 /2025	श्रीमती. लोकेश्वरी साहू	10.6.2022	उत्तरवादी सं. 2
7	300 /2025	श्रीमती सोनामती	24.7.2019	उत्तरवादी सं. 4
8	352 /2025	श्रीमती. आशा तिकी	मौखिक रूप से	उत्तरवादी सं. 4
9	447 /2025 श्रीमती. ज्योति पाल		11.1.2023	उत्तरवादी सं. 4

2. चूंकि सभी वर्तमान याचिकाओं में एक ही विवादक शामिल है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।

3. वर्तमान याचिकाओं में सभी याचिकाकर्ता मितानिन या मितानिन प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत रहे थे। वे कम वेतन वाले कर्मचारी हैं और वे स्वास्थ्य के संबंध में सरकारी योजनाएँ प्रदान करने में प्रभावशाली हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और देश के ग्रामीण इलाकों में। वे चैंपियन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। भारत जैसे देश में इन मितानिनों (स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) द्वारा दिया गया योगदान महत्वपूर्ण है। वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर गाँव के लोगों तक पहुँचा रहे हैं और समाज में उनके योगदान को उनको दिए जाने वाले अल्प पारिश्रमिक से नहीं तौला जा सकता है। हालाँकि वे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं, हालाँकि, उनके योगदान को उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि उन्हें केवल कुछ मामूली त्रुटियों के आधार पर अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा इन मितानिनों (स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) के खिलाफ बर्खास्तगी आदेश पारित करते हुए कठोर कदम उठाया गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं की उदासीनता यह है कि उन्हें उस समय नौकरी से निकाल दिया गया जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ



रहा था और पूरे समाज को इन स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता थी। इन सभी रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए, रिट याचिका सेवा सं 77/2025 2025 को मुख्य मामले के रूप में लिया गया है क्योंकि उक्त मामले में दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को उचित तरीके से संलग्न किया गया है। उक्त रिट याचिका में निम्नलिखित अनुतोष कि मांग कि गई हैं, जो सभी रिट याचिकाओं में समान हैं:-----

“ 10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने की कृपा करे, जिसमें उत्तरवादीगण को आदेश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को मितानिन प्रशिक्षु "शहरी मितानिन कार्यक्रम" के पद पर फिर से नियुक्त किया जाए और याचिकाकर्ता को हटाने की प्रक्रिया को अवैध तथा विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण और प्राकृतिक विधि के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया जावे।

10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया 16.05.2024 के आदेश को अपास्त करने की कृपा करे और उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 को दिनांक 15.07.2024 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देवे।

10.3 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी सेवा लाभ और पिछले वेतन के साथ पुनः स्थापित करने का निर्देश देवे।

10.4 याचिका की लागत के साथ कोई अन्य अनुतोष भी दी जा सकती है जो न्यायालय को उपयुक्त तथा उचित लगे।”

4. प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को "शहरी मितानिन कार्यक्रम" के तहत मितानिन प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया गया था, जिनके विरुद्ध महिला आरोग्य समिति और कुछ अन्य मितानिनों द्वारा 11/03/2016 को उनके द्वारा उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए थे। उक्त परिवाद राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (एसएचआरसी), रायपुर के समक्ष की गई थी, जिसने इसका अन्वेषण की और उन्हें 01.04.2016 को उक्त कार्यक्रम, अर्थात् "शहरी मितानिन कार्यक्रम" से हटा दिया। तत्पश्चात दिनांक 10/05/2016 को याचिकाकर्ता द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बिलासपुर के समक्ष आवेदन दिया गया, तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच समिति गठित की गई, जिसने अपना प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में दोषी नहीं पाया गया, तथा तदनुसार यह अनुशंसा की गई कि याचिकाकर्ता को उक्त कार्यक्रम में पुनः शामिल किया जाना उचित होगा। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने राज्य मानवाधिकार आयोग, रायपुर के समक्ष याचिकाकर्ता को पुनः स्थापित करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया, लेकिन उत्तरवादी अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता से व्यथित होकर उस पर विचार नहीं किया गया, याचिकाकर्ता ने 26.02.2020 को इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सेवा सं 963/2020 दायर किया, जबकि माननीय न्यायालय ने कलेक्टर, बिलासपुर के समक्ष आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया



अभ्यावेदन करने की स्वतंत्रता दी है और उक्त प्राधिकारी बदले में अभ्यावेदन पर विचार करते हैं और निर्णय लिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सेवा सं 963/2020 में पारित आदेश के अनुसार कलेक्टर बिलासपुर ने याचिकाकर्ता को दिनांक 18.06.2020 एवं 25.06.2020 को मामले की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया था, किन्तु याचिकाकर्ता दोनों ही तिथियों पर उपस्थित नहीं हो पाई, जिसके पश्चात कलेक्टर बिलासपुर द्वारा दिनांक 25.06.2020 को उसके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता स्वयं को सभी आरोपों से मुक्त होने का दावा कर रही है, वह तिथि स्पष्ट नहीं है, इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कार्यक्रम के तहत मितानिनों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार है, अतः राज्य मानवाधिकार आयोग के परिवाद उचित है, तथा याचिकाकर्ता का मामला विचारणीय नहीं है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता के पुत्र तथा पुत्री का विवाह सुसंगत समय पर, अर्थात् 19.06.2020 और 22.06.2020 को होना था, और इसलिए, 02.06.2020 और 16.06.2020 को उसके पति को उप-मंडल मजिस्ट्रेट, बिलासपुर से उक्त उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि सुसंगत समय पर, याचिकाकर्ता अपने पुत्र तथा पुत्री के विवाह के आयोजन के संबंध में व्यस्त थी, जिसके कारण वह 18.06.2020 को कलेक्टर, बिलासपुर के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी और इसलिए, उक्त तिथि को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। यह कि, 18.06.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही के बाद, 25.06.2020 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसे याचिकाकर्ता ने रिट याचिका सेवा) संख्या 4211/2020 दाखिल करके चुनौती दी और यह माननीय न्यायालय अपने आदेश दिनांक 13.09.2023 द्वारा एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने की कृपा करते हैं और प्रकरण उत्तरवादी संख्या 3 को वापस भेज दिया जाता है और याचिकाकर्ता को 20.10.2023 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है। जैसा कि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2024 द्वारा निर्देशित किया था, संबंधित प्राधिकारी/कलेक्टर को उक्त कार्यवाही को विधि के अनुसार नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बिना कोई अवसर दिए और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचार किए बिना, कलेक्टर ने दिनांक 16.05.2024 (अनुलग्नक पी/1) आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि पहले के आदेश में कोई अवैधता नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है क्योंकि यह विचारणीय नहीं है, हालांकि माननीय न्यायालय ने विधि के अनुसार कार्यवाही को नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना और मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना ही प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए प्रतिकूल निष्कर्ष ने उसके सेवा कैरियर पर कलंक लगाया और भविष्य में भी दर्ज की गई टिप्पणी/प्रतिकूल निष्कर्ष याचिकाकर्ता के भविष्य के कैरियर के रास्ते में आएंगे और इसलिए पारित आदेश अपने आप में अवैध है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। 15.07.2024 को याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधित्व पर विचार करने और याचिकाकर्ता को उसके पद पर बहाल करने के लिए एसएचआरसी के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया परंतु आज तक यह प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।



5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मितानिनों के चयन और उन्हें हटाने तथा मितानिन क्लस्टर समन्वय के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ताओं को हटाया गया है, जो अवैधानिक और मनमाना है। मितानिनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिशा-निर्देशों में विशिष्ट प्रावधान हैं। हालांकि, संबंधित अधिकारियों द्वारा उनका पालन नहीं किया गया है और केवल प्रतिवादी अधिकारियों की सनक और मनमानी के कारण याचिकाकर्ताओं और अन्य मितानिनों को सेवा से हटा दिया गया है। मितानिन को हटाने के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन परिपत्र दिनांक 24.9.2011 में किया गया है तथा इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:---

"मितानिन प्रशिक्षक का परिवर्तन यदि खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला समन्वयक के आंकलन अनुसार किसी मितानिन प्रशिक्षक का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उस परिवार के कार्यों की विस्तृत समीक्षा जिला समन्वयक द्वारा इन दिशानिर्देशों में दी गई अपेक्षित कार्यों की सूची, मासिक कार्ययोजना मासिक प्रतिवेदन व दौरा प्रतिवेदन के आधार पर की जावेगी। इस समीक्षा के आधार पर प्रशिक्षक को अपने कार्य में सुधार लाने हेतु एक 'माह का समय दिया जा सकता है। एक माह पश्चात् प्रशिक्षक के कार्य की पुनः सर्नशा कर जिला समन्वयक प्रशिक्षक को कार्य से पृथक करने अथवा जारी रखने की अनुशंसा विस्तृत बधरण राडित खण्ड चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गवित पांच सदस्यों की समिति को प्रेषित करेंगे। मितानिन प्रशिक्षक द्वारा किसी प्रकार की गंभीर अनियमितता अथवा कार्यक्रम के उद्देश्यों व विपरीत आचरण/कार्य किये जाने पर भी जिला समन्वयक संबंधित प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन उपरोक्त समिति को प्रस्तुत करेंगे व इसकी प्रति जिला नोडल अधिकारी व राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। समिति उपरोक्तानुसार प्राप्त समीक्षा जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित प्रशिक्षक को कार्य से पृथक करने के संबंध में निर्णय लेगी। निर्णय करने हेतु समिति के न्यूनतम तीन सदस्य सहमत होने चाहिए।"

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया है कि मितानिनों के विरुद्ध परिवार की गई थी, अतः उन्हें हटाया जाना उचित है, यद्यपि पूछताछ में यह प्रस्तुत किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा मितानिनों एवं मितानिन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति एवं हटाने के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जिसके अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि हटाने के आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हटाने के आदेश के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि यद्यपि नोटिस जारी किए गए थे, तथापि, चूंकि संबंधित मितानिनें उपस्थित नहीं हो सकीं, इसलिए उन्हें एकपक्षीय घोषित किया गया तथा तत्पश्चात उन्हें हटाने के संबंध में आदेश पारित किए गए।

7. इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने स्वाति प्रियदर्शिनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2024 एससी 4339 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि मितानिन और मितानिन प्रशिक्षु की नियुक्ति और हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, जिसके



अनुसार कुछ जांच किए जाने की आवश्यकता होती है और समिति की अनुशंसा के बाद हटाने के आदेश लिए जा सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त प्रक्रिया के संबंध में निगरानी करेंगे, ऐसे में उक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना मितानिनों या मितानिन प्रशिक्षुओं को हटाया नहीं जा सकता है।

8. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है। मैंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी निर्देशों पर भी विचार किया है, जिसमें मितानिनों एवं मितानिन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उन्हें हटाने के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा प्रक्रिया का पालन किए बिना ही मितानिनों एवं मितानिन प्रशिक्षुओं को हटाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। आदेशों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि निष्कासन के आदेश उस अवधि के दौरान पारित किए गए हैं जब पूरी दुनिया महामारी कोविड-19 का सामना कर रही थी। निष्कासन के अधिकांश आदेश जून और नवंबर, 2020 के बीच पारित किए गए हैं। कुछ मामलों में, प्रारंभिक जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ की गई परिवाद साबित नहीं हुई। हालाँकि, इसके बावजूद, निष्कासन आदेश पारित किए गए हैं। 9. प्रक्रियाओं का पालन करने से संबंधित मुद्दे को उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निराकरण किया जाता है।

10. डी. पद्मिनी बनाम रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मद्रास, 2008 एससीसी ऑनलाइन मैड 1515 के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“21. यह स्थापित विधि है कि किसी विधि को उसके संदर्भ में समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इस तरह से व्याख्यायित किया जाना चाहिए ताकि इसे प्रभावी, व्यावहारिक और व्यवहार्य बनाया जा सके। यदि अर्थ स्पष्ट और स्पष्ट है, तो परिणामों की परवाह किए बिना उस अर्थ में प्रभाव दिया जाना चाहिए। विधि की भाषा को उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है और सामान्यतः शब्दों को जोड़ने या बदलने की अनुमति नहीं होती है। केवल अस्पष्टता या कानून की व्याख्या करने में कठिनाई की स्थिति में ही न्यायालय व्याख्या के नियमों को ध्यान में रखते हुए कानून के पीछे के आशय और उसके उद्देश्य पर गौर करेंगे।”

11. चिन्नम नायडू कोल्लाना बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एपी 3776 के मामले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

“16.जब अधिनियम या नियम किसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं, तो बिना किसी विचलन के उसका पालन/अनुपालन किया जाना चाहिए।.....”

12. इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम गिरीश श्रीराम जुनेजा एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससीसी 181 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की है:---

“54. वर्तमान व्याख्यात्मक अभ्यास में, किसी को कानूनी सिद्धांत के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है जो कहता है कि जहां किसी कानून के तहत किसी निश्चित कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की



आवश्यकता होती है, तो उसे उसी विशेष तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए, ए.आर. में दिए गए निर्णय से निम्नलिखित को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा। अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक:

"22.टेलर बनाम टेलर [[1876] 1 Ch.D. 426]; नजीर अहमद बनाम किंग-एम्परर [AIR 1936 PC 253 (2):(1935-36) 63 IA 372:(1936) 37 Cri LJ 897] से शुरू होकर चेष्टियम वेडिल अम्माद बनाम तालुक लैंड बोर्ड ((1980) 1 SCC 499 AIR 1979 SC 1573:(1979) 3 SCR 839] तक के निर्णयों की लंबी श्रृंखला का उल्लेख करना अनावश्यक है, जिसमें अब तक निर्विवाद कानूनी सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि जहां किसी कानून में किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के अन्य तरीके अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं।"

55. आईबीसी की धारा 31(4) के प्रावधान की भाषा स्पष्ट है तथा उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है और ऐसी स्थितियों में प्रावधान में आने वाले सभी शब्दों को उनका उचित अर्थ दिया जाना चाहिए।

56. इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि किसी भी पाठ, वाक्यांश और/या परंतुक को उचित तरीके से समझा जाए, बिना उस सीमित सीमा से परे जाए जिसके भीतर विधायी अर्थ को समझा जा सकता है। परंतुक में 'पूर्व' शब्द के उपयोग को कुछ अर्थ दिया जाना चाहिए क्योंकि इसके आधार पर, कानून की आवश्यकता है कि समाधान योजना के लिए सीओसी की मंजूरी प्राप्त करने का कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना चाहिए, यानी, संयोजन प्रस्तावों वाले समाधान योजनाओं के लिए आवश्यक सीसीआई की मंजूरी ऐसी योजना से पहले प्राप्त की जानी चाहिए। सी. ओ. सी. की मंजूरी दी जा रही है।

58. श्री वेंकटरमण देवरु बनाम मैसूर राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

"25. ... अनुच्छेद की भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट है, इसलिए हम विधानमंडल के संभावित इरादे के बारे में पूर्व तर्क के आधार पर इसमें ऐसी सीमाएं नहीं समझ सकते जो मौजूद नहीं हैं। ऐसी मंशा केवल कानून में वास्तव में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ही पता चल सकती है; और कानून की अदालत में, जो व्यक्त नहीं किया गया है उसका वही महत्व है जो अनपेक्षित है....."

59. प्रदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :

"43. न्यायालय यह मानकर आगे नहीं बढ़ सकता है कि विधान बनाने वाली विधायिका ने कोई गलती की है और जहां कानून की भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट है, वहां न्यायालय कानून की भाषा से पीछे जाकर कोई शब्द नहीं जोड़ या घटा सकता, जिससे राजनीतिक सुधारक या विधायिका के लिए एक बुद्धिमान सलाहकार की भूमिका निभाई जा सके। न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि विधानमंडल ने जो कहा है,



उसका आशय यही है और यदि वाक्यांशों आदि में कोई त्रुटि है, तो न्यायालय के अलावा अन्य लोगों को उस त्रुटि को दूर करना होगा। विधि की व्याख्या उसमें प्रयुक्त भाषा के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा किए बिना की जानी चाहिए। न्यायालय विधान को फिर से नहीं लिख सकती है, उसे फिर से नहीं बना सकती या उसे फिर से नहीं बना सकती, क्योंकि उसके पास विधि बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

60. उल्लेखनीय रूप से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विजिटर बनाम के.एस. मिश्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

"13.विधि की व्याख्या का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय का यह दायित्व है कि वह भाषा पर, यदि उचित रूप से अनुमेय हो, ऐसे निर्माण से बचें, जो कानून के किसी भाग को किसी अर्थ या अनुप्रयोग से रहित कर दे। न्यायालय हमेशा यह मानकर चलते हैं कि विधानमंडल ने इसके प्रत्येक भाग को किसी उद्देश्य के लिए शामिल किया है और विधायी आशय यह है कि विधि के प्रत्येक भाग का प्रभाव होना चाहिए। विधानमंडल को अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहिए या व्यर्थ में कुछ भी नहीं कहना चाहिए और ऐसा निर्माण जो विधानमंडल को अनावश्यक मानता है, उसे बाध्यकारी कारणों के अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी कानून में शब्दों को अनुपयुक्त अतिरिक्त मानकर दरकिनार कर देना निर्माण का एक अच्छा सिद्धांत नहीं है, यदि वे विधि के चिंतन के भीतर संभावित परिस्थितियों में उपयुक्त अनुप्रयोग हो सकते हैं।"

13. डी. पद्मिनी प्रकरण (सुप्रा) में मद्रास उच्च न्यायालय, चिन्नम नायडू प्रकरण (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और विशेष रूप से इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रकरण (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिस प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया था, उसका वर्तमान प्रकरणों में पालन नहीं किया गया है और संबंधित पक्षों की अनुपस्थिति में भी याचिकाकर्ताओं को हटाने के आदेश पारित किए गए हैं।

14. स्वाति प्रियदर्शिनी प्रकरण (सुप्रा) में हाल के एक निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अस्थायी रूप से या संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी सुनवाई का अवसर अनिवार्य है, यदि आरोप के आधार पर उन्हें हटाया जा रहा है। चूंकि याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किए बिना हटा दिया गया है और इसके अलावा उन्हें हटाने के आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और चूंकि तथाकथित जांच के साथ-साथ हटाने के आदेश भी सुनवाई का अवसर दिए बिना कोविड-19 महामारी के दौरान पारित किए गए हैं, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को हटाने के लिए की गई पूरी कार्यवाही स्वयं में अवैध है।

15. वर्तमान मामले में, निष्कासन के आदेश अकेले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पारित किए गए हैं, इसलिए, निष्कासन के आदेश दिनांक 24.9.2011 की योजना के विपरीत हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के निष्कासन के सभी आदेश, जैसा कि इस निर्णय के पहले कंडिका में कहा गया है, को रद्द कर दिया गया है।



16. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने काफी समय तक काम नहीं किया है, इसलिए वे पारिश्रमिक के बकाए का दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को मितानिन और मितानिन प्रशिक्षुओं के रूप में उनकी सेवा में वापस लिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और बदले में अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की मितानिन और मितानिन प्रशिक्षुओं के रूप में सेवाओं को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया जाता है। उत्तरवादी प्राधिकारी, यदि ऐसा सलाह दी जाए, तो दिनांक 24.9.2011 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार पुनः जांच शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

17. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, सभी रिट याचिकाओं का निराकरण किया जाता है।

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु

किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

